

छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीयन हेतु मार्गदर्शिका

1. ज्ञापन पत्र में कम से कम 7 अभिदाता/निर्माणकर्ता होना अनिवार्य है, उनके नाम, पिता/पति के नाम, पूर्ण आवासीय पते एवं उपजीविका का उल्लेख हो।
2. ज्ञापन पत्र में अभिदाताओं के हस्ताक्षर किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। साक्षी का नाम, पता इत्यादि पूर्ण उल्लेखित होना चाहिए।
3. समिति का नाम अधिनियम की धारा 6(2) के प्रावधानों के अनुरूप होना आवश्यक है। यदि पूर्व में प्रस्तावित नाम से पंजीकृत हो तो नाम परिवर्तन किया जाना चाहिये।
4. समिति के उद्देश्य, शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक एवं खैराती एवं जनकल्याणकारी संबंधित हो।
5. ज्ञापन एवं नियमावली में एक समान उद्देश्य, एक समान संस्था का नाम एवं संस्था कार्यालय का पता भी एक समान अंकित होना आवश्यक है।
6. नियमावली के प्रत्येक पृष्ठ पर समिति के निर्माणकर्ता सदस्यों में से कम से कम तीन-तीन सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
7. पंजीयन हेतु पंजीयन शुल्क — सामान्य एवं सामाजिक समिति हेतु 5000/—, महिला मंडल हेतु 1000/— एवं नवयुवक मंडल हेतु 1000/— निर्धारित है, जो चालान द्वारा निम्न मद में पटाकर चालान की मूलप्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करना आवश्यक है। महिला स्व सहायता समूह हेतु पंजीयन शुल्क 500/— रुपये का चालान जमा कराया जाना चाहिए।

“1475— अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें

200— अन्य व्यापारिक उपक्रमों का विनियमन”

8. चालान में पूर्ण शीर्ष-मुख्य एवं लघु दोनों अंकित होना चाहिए अन्यथा चालान स्वीकृत योग्य नहीं माना जावेगा।
9. सदस्यता शुल्क सुसंगत भरा जाना आवश्यक है।
10. नियमावली के नियम 10 में वार्षिक आम सभा का माह निर्धारित होना चाहिए।
11. सचिव एवं कोषाध्यक्ष के वित्तीय सीमा भरा होना चाहिए।
12. नियमावली के नियम 12 में कार्यकारिणी की सदस्य संख्या निश्चित होना चाहिए।
13. प्रत्येक पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख होना चाहिए।